संख्या-92/2022/001-491-22-4-2022-48-25-2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2022

विषय:- जिला कारागार, जौनपुर में टयूबवेल की स्थापना के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11830नम-2/जौनपुर ट्यूबवेल/2020-21, दिनांक-08.04.2022 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-46/2021/351/22-4-2021-48(25)/21, दिनांक-19.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक-19.03.2021 द्वारा जिला कारागार, जौनपुर में ट्यबवेल की स्थापना के निर्माण कार्य हेतु रू0 36.37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0 18.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया जिला कारागार, जौनपुर में ट्यूबवेल की स्थापना के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृत लागत रू0 36.37 लाख के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 18,19,000/-(रूपया अठ्ठारह लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समयसमय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।
(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।
(5) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्ति की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
(7) प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-19.03.2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,19,000 (रुपये अठारह लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510400 कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-92/2022/001-491-22-4-2022-48-25-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, जौनपुर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्या लय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11)गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।